



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225466
CG-DL-E-25022021-225466

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2021/फाल्गुन 6, 1942
No. 832]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021

का.आ. 902(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**— (1) इस आदेश को सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) यह इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) को निम्नलिखित उप-पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

“(2) यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा।”

[फा. सं. 11(6)/2017-सीआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख आदेश का.आ. 1045(अ), दिनांक 12 मार्च 2020 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत प्रकाशित हुआ था और अंतिम संशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3190 (अ) दिनांक 18 सितंबर 2020 को हुआ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 25th February, 2021

S.O. 902(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Safety Glass (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Safety Glass (Quality Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Safety Glass (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub- paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) It shall come into force with effect from 1st April, 2022.”.

[F. No. 11(6)/2017- CI]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.1045(E), dated the 12th March, 2020 and lastly amended *vide* notification number S.O.3190(E) dated the 18th September, 2020.